FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.सी.एम.एस.नं. 2023/545

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

राकेश .... बनाम भूमिधारी ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर 674 .... वर्ष 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जों इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/1/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/3/25 को पेश हो।	
17/3/25	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार [illegible] के पत्रांक मु.अ./2024/2690 दिनांक 15-5-2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है शामिल पत्रावली है तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन से पाया कि रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है तहसीलदार [illegible] को स्पष्ट रिपोर्ट मंगवाने हेतु पुनः तहरीर जारी हो पत्रावली दिनांक 26/3/2025 को पेश हो	
26/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 08/05/25 को पेश हो।	
08/5/25	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 10/6/25 को पेश हों।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Si
Yadav
Date: 2025.08.28 12:27:36 IS
Reason: SelfAttested

20/6 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/7/25 को पेश हो।

28/7 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का [illegible] रखा है। पत्रावली पूर्व आदेश[illegible] दिनांक 5/8/25 को पेश हो।

05/06/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं. धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 137 की जमाबंदी संवत 2075–2078 में भागीरथ/भागीरथमल के वारिसान के दो–दो नाम दर्ज हैं। विवादित भूमि में प्रार्थी का गलत नाम ''रमेश पुत्र भागीरथमल'' दर्ज हैं जबकि वादी का नाम ''रमेश पुत्र भागीरथमल'' की जगह ''राकेश पुत्र भागीरथमल'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

आदेश

तन ग्राम मानपुरा पटवार हल्का खादरा तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 15 रकबा 4.31 है0 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम ''रमेश पुत्र भागीरथमल'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''राकेश पुत्र भागीरथमल'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Ve
Digitally signed by R
Yadav
Date: 2025.08.28 12
Reason: SelfAttested